

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/4317..... /

जबलपुर, दिनांक २४/०६ / 2023

II-14-44/23

कु. प्रिंसी बरैया, निजी सहायक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 28.11.2022 से 13.01.2023 तक 47 दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 14.01.2023 से 30.01.2023 तक 17 दिन का लघुकृत अवकाश एवं दिनांक 31.01.2023 एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

सही / -
(रामकुमार चौबे)
रजिस्ट्रार जनरल
B-

पृष्ठांकन क्रमांक B/4318..... /

जबलपुर, दिनांक २४/०६ / 2023

II-14-44/23

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 2149/स्था. ग्वालियर, दिनांक 16/05/2023 के संदर्भ में कु. प्रिंसी बरैया, निजी सहायक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर का आवेदन पत्र, निर्धारित प्रपत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं अवकाश लेखा की छायाप्रति वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(यू.एस. दूबे)

ओ.एस.डी. कम-पी.पी.एस.

B